

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/94/2021

हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र हीरालाल शर्मा निवासी कटारा भवन रूपवास रोड रूदावल जिला भरतपुर।

बनाम

तहसीलदार रूपवास ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश


दिनांक 22.12.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र हीरालाल शर्मा निवासी कटारा भवन रूपवास रोड रूदावल जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 05.10.2021 तहसीलदार रूपवास से सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार रूपवास द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/741 दिनांक 26.11.2021 के द्वारा तहसीलदार रूपवास से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूपवास से कोई जबाव प्राप्त नहीं हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दुओं की सूचना तहसीलदार रूपवास ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त द्वारा तहसीलदार रूपवास से उक्त बिन्दुओं की सूचना दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार रूपवास से कोई जबाव प्राप्त नहीं हुआ है, जो गम्भीर बात है। तहसीलदार रूपवास से जबाव प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूपवास को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रूपवास को पालनार्थ भेजी जावे एवं सूचनार्थ अपीलांत को भी प्रेषित हो।



(हिमान्यु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर